

ARISTOTLE'S THEORY OF SLAVERY

आलोचना

अरस्तू का दासता सम्बन्धी सिद्धांत की विवेचना —

यूनानी समाज में दास प्रथा बहुत बड़ी आवश्यकता बन गयी थी। यूनानी लोगों के पास अनेकों दास हुआ करते थे। यहां तक कहा गया है कि उस समय यूनानी राजनीतिक जीवन सम्भरा और संस्कृति भाँके दास प्रथा पर ही निर्भर था।

अरस्तू के जमाने में दासता का सवाल एक विवाद का केंद्र बिन्दु बन गया था। सौफिस्ट विचारक दास प्रथा को अमानुषिक (पशु के समान) मानकर इसे समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि भगवान ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने भी जो व्यक्ति को दास नहीं बनाया है।

इन सब परिस्थितियों को देखकर अनेक दासों का स्वामी अरस्तू बौद्धिक आचार पर दास प्रथा के औचित्य पर प्रश्न डाला है। अरस्तू के अनुसार — “जिस प्रकार वीणा भाँके वाद्ययंत्रों का सहयोग के बिना वीणा उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास सम्भव नहीं है।” उसने दास को पारिवारिक सम्पत्ति का एक अंश माना है। दास का विशेषण करते हुए उसने कहा है कि — Any one who by nature is not this own man but other's is a slave. उसके अनुसार सम्पत्ति सजीव और निर्जीव दो प्रकार की होती है। सजीव सम्पत्ति में हाथी, घोड़े पशु और दास होते हैं तथा निर्जीव सम्पत्ति में मकान जेत इत्यादि।

According to Aristotle — “Each article of property is an instrument — for the purpose of life. Life is action and not production, and therefore the slave is a servant in the sphere of action.”

दासता की प्रकृति की स्पष्टता प्रदान करने हुए अरस्तू ने तीन बातें कही हैं —

(1) जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपनी नहीं होवालेक इसी को ही फिर भी मनुष्य ही है वह स्वभावतः दास है।

(iii) वह व्यक्ति जो मनुष्य होने हुए भी सम्पत्ति की एक वस्तु है और इससे उसे अचीन रहता है दास कहा जाता है।

(iii) सम्पत्ति की वस्तु, जो कार्य का उपकरण है और जिस सम्पत्ति के स्वामी से पृथक् (अलग) किया जा सकता है, दास है।

अस्तु द्वारा दास प्रथा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाये हैं—

1. दासता प्राकृतिक है— अस्तु का मानना है कि दास प्रथा प्रकृति से दैन है। पिषमता की प्रकृति का नियम है। इस बुद्धि (विवेक) का व्यक्ति दास बनता है और तेज बुद्धि वाला व्यक्ति अपने योजन और गुणों के बल पर स्वामी बनता है।

~~मान~~ A man is thus by nature a slave if he is capable of becoming the property of another.

2. दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य— अस्तु का तर्क है कि दास प्रथा स्वयं दासों के लिए भी अनिवार्य है। इस बात की पुष्टि में तर्क प्रस्तुत करते हुए उसने कहा है कि दास आविर्बुद्ध और अभोग्य होते हैं लेकिन अपने स्वामी के साथ सम्बद्ध होने के कारण उन्हें भात्म संयम एवम् अन्य विवेकी गुणों की समझने का अवसर मिलता है।

अस्तु के अनुसार— “जिस प्रकार बच्चों की माता-पिता के संरक्षण की जरूरत है, वही प्रकार दासों की भी, जो कि बौद्धिक दृष्टि से बच्चा ही रहते हैं। बुद्धि सम्पन्न स्वयं व्यक्तियों के संरक्षण में रखना उनके लिए श्रेयस्कर है, ऐसे संरक्षण के अभाव में खुद दासों का जीवन मुश्किल हो जाएगा।”

3. दासता नैतिक है— नैतिक दृष्टिकोण से दास प्रथा आवश्यक है। स्वामी का कर्तव्य होता है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दया का भाव रखे तथा दास का भी कर्तव्य होता है कि स्वामी के प्रति सदैव (हमेशा) समर्पित भाव का प्रदर्शन करे।

4. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवम् सभ्यता का अंग— यूनानी नगर राज्यों में दासों की संख्या बहुत अधिक थी दास प्रथा उस

समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ह्यामिलेव आ एक अंग बन
गयी थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को नष्ट करने का मतलब
भा कि राज्यों की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की
विकास करने लगती। उपर्युक्त बातों के अनुसार भारत में दास
प्रथा का समापन किया।

5. दासता समाजपथी — भारत में दास प्रथा को समाजपथी
माना है। दासता के चलते तेज बुद्धि वाला व्यक्ति अपने
घरेलू कार्यों से भलग रहकर समाजपथी और मानव विकास
का कार्य कर पाता है।

6. युद्ध का आचार — युद्ध में हारे हुए व्यक्ति को भी भारत
में दास बनाने के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करता है।
भारत के अनुसार दासता दो प्रकार
की होती है — स्वाभाविक और वैधानिक दासता। उसके
अनुसार कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। वे जन्म
से ही कम बुद्धि वाले एवं अयोग्य होते हैं। इस तरह के
लोग स्वाभाविक दास कहलाते हैं वैधानिक दासता के तहत
वे लोग आते हैं जो युद्ध में हारने के उपरान्त दासता
स्वीकारते हैं।

भारत में दास प्रथा को उचित ठहराते हुए उसपर
कुछ मानवीय परिसेनाएँ भी लगायी हैं —

- (i) दासता वंश परम्परा पर आचार्य नहीं है अतः दास का पुत्र
यदि योग्य होता है उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए।
- (ii) स्वामी को दास के प्रति मानवीय व्यवहार करना चाहिए।
- (iii) दास यदि अच्छा कार्य करने लगे तो उसे दासता से मुक्त
कर देना चाहिए।
- (iv) दासों को उसके कार्यक्षमता के अनुकूल ही कार्यों में लगाना चाहिए।
- (v) स्वामी को दासों को भौतिक और आर्थिक सुविधाओं
का ध्यान रखना चाहिए।
- (vi) भारत आवश्यकतानुसार ही दास रखने से समापन करा है।
- (vii) स्वामी को मृत्यु के समय दासों से मुक्त कर देना चाहिए।
- (viii) दासों को बेचना नहीं चाहिए तथा युद्ध के एक निश्चित
आय हो जाने पर मुक्त कर देना चाहिए।

इस प्रकार अरस्तू के उपर्युक्त बर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह मानवीय व्यवहार का पोषक था। इसके सिद्धान्तों में कभी भी श्रम नहीं दिखती है।

लौडिग आलोचकों द्वारा अरस्तू के दासता सिद्धान्त की काफी आलोचना की गयी है जो निम्नांकित बिन्दुओं में की गयी है —

- (3) दास प्रथा अप्राकृतिक है —
- (4) मानव समूहों का विभाजन बिधुल असम्भव है।
- (5) मनुष्यों के विभाजन का सर्वमान्य मापदण्ड नहीं है।
- (6) अरस्तू की चारणा अनुदारवादी है।
- (7) उसकी दासता सम्बन्धी चारणा जातीय अहंकार का प्रतीक है और पूर्णरूप से अव्यवहारिक भी है।
- (8) अरस्तू का सिद्धान्त अलोकतांत्रिक, अताड़िक, अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक है।

थियोडोर जोम्पर्स ने अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि — “यूनानियों के एक मात्र अपवाद की दृष्टि पूरे मानव जाति की हमेशा के लिए दासता से अभिन्न रह कर दिया गया है।”

According to Ebenstein — “His acceptance of slavery shows how even a wise and great philosopher is captive of the institution of his time and of the institution of his time and of the prejudice that nationalize them.”

इस प्रकार अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचार ग्रायोचेर नहीं माना जाएगा। मैक्सी मैकेन ने भी अरस्तू की पुस्तक ‘पोलिटिक्स’ की अवैध घोषित करने की मांग की थी।